

संचिका सं०-7/आ०कॉ०-36-03/2026-27-200 (7B)

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण मा०प्र०से०,  
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक-15/04/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय में इंटर्नशिप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/वजीफा भुगतान हेतु कुल रू० 9,90,000/- (रूपये नौ लाख नब्बे हजार) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबन्ध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या-125(1), दिनांक-20.02.2014 एवं संकल्प संख्या-776(1), दिनांक-29.11.2023 एवं समय-समय पर निर्गत विभिन्न स्वास्थ्य विभागीय संकल्पों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय में इंटर्नशिप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति/वजीफा भुगतान हेतु कुल रू० 9,90,000/- (रूपये नौ लाख नब्बे हजार) मात्र के व्यय के निमित्त स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का पहलू मा० सं०-20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-101-आयुर्वेद, उपशीर्ष-0001-आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय विपत्र कोड-20-2210-05-101-0001 अंतर्गत छात्रवृत्ति/वजीफा (34-01) मद में बजट उपबन्ध के माध्यम से प्राप्त राशि से विकल्पनीय होगा ।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुंगेर प्रमडल, मुंगेर होंगे ।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, बेगुसराय से की जायेगी ।

(6) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

(7) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि(2), दिनांक-17.04.1998 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(8) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(9) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- सं०-7/आ०कॉ०-36-03/2026-27 के पृष्ठ- 04 /टि० पर प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वारामाजन,

(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव  
H/0001

ज्ञापांक:- 7 / आ0कॉ0-36-03 / 2026-27-200(7B) / स्वा0, पटना, दिनांक:- 15/04/2026

**प्रतिलिपि:**-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, मुगेर प्रमंडल, मुगेर / जिला पदाधिकारी, बेगुसराय / क्षेत्रीय अपर निदेशक, मुगेर प्रमंडल, मुगेर / कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेगुसराय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**-प्राचार्य, आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगुसराय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07बी एव संबधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
15/4/26  
सरकार के अपर सचिव  
Killed